



## उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला  
तहसील  
आवेदन क्र०  
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद  
बिलारी  
181350030145350  
043183016876

जारी दिनांक: 24/09/2018

प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

ग्राम

तहसील

जिला

श्री मोहम्मद इसाईल

श्री मोहम्मद इब्राहीम

श्रीमती फरजाना बी

मौहल्ला अंसारियात निकट हुसैनी झंडा

बिलारी

मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की मोमिन (अंसार) जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद इसाईल पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा में अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: बकास युनिस, नैकटान जन सेवा केंद्र

पद: बकास युनिस, केन्द्र प्रभारी

स्थान: 15, BILARI, बिलारी, मुरादाबाद

दिनांक: 24/09/2018

हस्ताक्षर एवं मुहर

RAJESH  
KUMAR

Digitally Signed by  
RAJESH KUMAR O=UP  
GOVERNMENT  
OU=REVENUE  
S=UTTAR PRADESH

सहायक अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

बिलारी, मुरादाबाद

दिनांक: 24/09/2018

यह प्रमाण पत्र डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० संकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।